जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jannayak Chandrshekhar University, Ballia

पत्रांक : जे0एन0सी0यू0/रो0रे0/27/2020-21 दिनांक: 03.02.2021

कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय रोवर्स/रेंजर्स की आवश्यक बैठक दिनांक 26.01.2021 को माननीया कुलपति जी की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में सम्पन्न हुयी। बैठक के प्रारम्भ में ही माननीया कुलपति महोदया ने, विधिवत् सूचना के बाद भी महाविद्यालयों के बैठक में उपस्थित नही होने तथा रोवर्स/रेंजर्स की गतिविधियां नहीं संचालित किये जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त किया।

बैठक में सर्व सम्मति से निम्नलिखित निर्णय किये गये -

1. सत्र 2020-21 के विश्वविद्यालयीय रोवर्स/रेंजर्स समागम के आयोजन के लिए सम्भावित तिथि 27 एवं 28 फरवरी, 2021 पर सहमति व्यक्त की गयी। समागम हेतु तीन महाविद्यालयों का नाम प्रस्तावित किया गया - 1. श्री मुरली मनोहर टाउन पी0जी0 कॉलेज, बलिया 2. किसान पी0जी0 कॉलेज रक्सा, रतसर, बलिया तथा 3. गोपाल जी महाविद्यालय, रेवती, बलिया। समागम स्थल की सूचना अलग से विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित की जायेगी।
2. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध जिन महाविद्यालयों ने अभी तक पंजीकरण/नवीनीकरण नहीं कराया है, उनसे अपेक्षा की गयी कि शासन के निर्देश का अनुपालन करते हुये यथाशीघ्र पंजीकरण करा लें। ऐसे महाविद्यालयों के साथ अलग से बैठक आयोजित की जायेगी तथा उनका पंजीकरण सुनिश्चित किया जायेगा, जिससे शासन की मंशा के अनुरूप शत-प्रतिशत पंजीकरण/ नवीनीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
3. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों से अपेक्षा की गयी कि वे अपने यहाँ अनिवार्य रूप से दल गठन कर लें तथा इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें तथा वर्ष पर्यन्त चलने वाली रोवर्स/रेंजर्स की गतिविधियों से छात्र/छात्राओं को सम्बद्ध करें। यदि कोई सम्बद्ध महाविद्यालय इस प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करता तो यह शासन/विश्वविद्यालय के निर्देश का उल्लंघन माना जायेगा तथा विश्वविद्यालय उनके सम्बन्ध में उचित एवं आवश्यक कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

Scanned with CamScanner

4. प्रत्येक महाविद्यालय अपने महाविद्यालय में रोवर्स एवं रेंजर्स प्रभारी की नियुक्ति करेगा। यदि महाविद्यालय में महिला प्राध्यापिका उपलब्ध है तो रेंजर्स प्रभारी उन्हें ही नियुक्त किया जाय। जिन महाविद्यालयों में बी0एड्0 पाठ्यक्रम संचालित हो रहे है वहाँ बी0एड्0 विभाग के प्राध्यापकों को, प्राथमिकता के आधार पर, प्रभारी नियुक्त किया जाय।

5. समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय अपने महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय रोवर्स/रेंजर्स समन्वयक के सहयोग से, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड संस्था से योग्य प्रशिक्षण प्राप्त कर न्यूनतम 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित करें। प्रशिक्षक के मानदेय का भुगतान उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड संस्था, लखनऊ के नवीनतम निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। प्रथम वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रवेश तथा दूसरे वर्ष प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को निपुण प्रमाण-पत्र संस्था के द्वारा नियमानुसार उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रवेश एवं निपुण के लिये निर्धारित शुल्क सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा संस्था में जमा किया जायेगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को विधिमान्य प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना संस्था के सचिव की जिम्मेदारी होगी। प्रशिक्षण प्राप्त किये हुये प्रशिक्षुओं में से ही विश्वविद्यालय समागम के लिए प्रतिभागियों का चयन किया जाय। प्रशिक्षण शिविर में अधिक से अधिक छात्र/छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाय।

6. महाविद्यालय के लिये अनिवार्य है कि वे सामाजिक सरोकारों से सम्बद्ध समस्त गतिविधियों से रोवर्स/रेंजर्स को सम्बद्ध करें तथा उनके क्रियाकलापों से सप्रमाण, विश्वविद्यालय को अवगत करायें। रोवरिंग/रेंजरिंग वर्ष पर्यन्त चलने वाली प्रक्रिया है। अतः इसे उसे के अनुरूप संचालित किया जाना चाहिये।

7. बी0एड्0 महाविद्यालयों में स्काउटिंग प्रशिक्षण चतुर्थ सेमेस्टर का अनिवार्य पाठ्यक्रम है। अतः इसे चतुर्थ सेमेस्टर में ही सम्पन्न कराया जाय। प्रशिक्षण शिविर पूर्व निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप ही संचालित किये जायेंगे, अर्थात् सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षक की मांग समन्वयक से स्वयं लिखित रूप से करेंगे। समन्वयक सचिव, उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड संस्था, बलिया के माध्यम से योग्य प्रशिक्षक की नियुक्ति कराकर महाविद्यालय को अवगत करायेंगे। महाविद्यालय प्रशिक्षण की प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम एक सप्ताह पूर्व प्रशिक्षक की मांग करेगें। प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् प्रशिक्षक अपनी आख्या तथा प्रशिक्षुओं की उपस्थिति, जिस पर महाविद्यालय के प्राचार्य का भी हस्ताक्षर होगा, समन्वयक तथा संस्था के सचिव को प्रेषित करेंगे। सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य से अपेक्षा है कि केवल संस्था से अधिकृत प्रशिक्षक से ही प्रशिक्षण सम्पन्न करायें।

Scanned with CamScanner

8. प्रशिक्षण समाप्त होने के पश्चात् महाविद्यालय के प्राचार्य वास्तविक रूप से प्रशिक्षण प्राप्त किये स्काउट/गाइड की सूची तथा निर्धारित शुल्क, समन्वयक के माध्यम से, संस्था के सचिव के पास जमा करेंगे। सचिव प्रदेश संगठन से प्रशिक्षित स्काउट/गाइड का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर समन्वयक के माध्यम से सम्बन्धित महाविद्यालय को उपलब्ध करायेंगे। सम्पूर्ण प्रक्रिया में पारदर्शिता आवश्यक है।
9. बी0एड0 प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों के मानदेय का भुगतान प्रदेश संस्था के नवीनतम निर्देशों के अनुसार किया जायेगा। प्रशिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिये उत्तर प्रदेश भारत स्काउट एवं गाइड लखनऊ का नवीनतम दिशा-निर्देश स्थानीय सचिव के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
10. पांच दिवसीय प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक दिवस के पाठ्यक्रम का लिखित विवरण संस्था के सचिव के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा प्रशिक्षण शिविर का संचालन निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
11. पांच दिवसीय प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं को विशेष परिस्थिति में मात्र स्वास्थ्य कारणों (Medical Ground) से ही, सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर मात्र एक दिन का अवकाश देय होगा। पांच दिवसीय प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरान्त ही प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाय। प्रशिक्षण अवधि में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक अथवा समन्वयक के द्वारा शिविर का निरीक्षण किया जायेगा। पर्यवेक्षक/समन्वयक शिविर आख्या माननीया कुलपति महोदया को प्रेषित करेंगे।यदि कोई स्काउट/गाइड पाँच दिन से कम अवधि तक प्रशिक्षण प्राप्त करता है तो इसका उल्लेख उसके प्रमाण-पत्र पर किया जाना आवश्यक है। विश्वविद्यालय के अधिकृत पर्यवेक्षक/समन्वयक के निरीक्षण के समय प्राप्त प्रशिक्षुओं की उपस्थिति संख्या अंतिम मानी जायेगी।
12. बी0एड्0 चतुर्थ सेमेस्टर अनिवार्य पाठ्यक्रम- योगा प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की सूची विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। योगा प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में से समन्वयक द्वारा की जायेगी। योगा प्रशिक्षण के लिए प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत संस्था के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा।
13. संस्था से अपेक्षा की गयी कि बी0एड्0 एवं बी0टी0सी0 के प्रशिक्षण के लिये किसी महाविद्यालय में प्रशिक्षक साथ-साथ नियुक्त नहीं किया जाय। महाविद्यालयों से भी अपेक्षा है कि दो प्रशिक्षण शिविर साथ-साथ आयोजित न करें।
14. महाविद्यालयों के रोवर्स/रेंजर्स प्रभारियों के लिये बेसिक कोर्स आयोजित किये जाने का निर्णय किया गया। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही हेतु संस्था के सचिव को

Scanned with CamScanner

अधिकृत किया गया। सचिव इस सम्बन्ध में आवश्यक प्रक्रिया से विश्वविद्यालय को अवगत करायेगें तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

15. सत्र 2019–20 में सम्पन्न बी0एड0 प्रशिक्षण में प्रशिक्षकों के मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय किया गया कि प्रशिक्षकों को भुगतान 17 अक्टूबर, 2019 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप किया जायेगा। उ0प्र0 भारत स्काउट और गाइड, लखनऊ द्वारा प्रकाशित वार्षिक कार्यक्रम 2019–20 के अनुसार एल0टी0/ए0एल0टी0 योग्यताधारी प्रशिक्षक को प्रतिदिन रु0 300.00, हिमालय उड बैज योग्यताधारी प्रशिक्षक को रु0 250.00 प्रतिदिन तथा एडवांस कोर्स के प्रशिक्षक को रु0 200.00 की दर से मानदेय का भुगतान निर्धारित है। यह मानदेय संस्था द्वारा प्रमाण–पत्र के लिये प्राप्त जिला अंश से संस्था द्वारा किया जाना है। प्रशिक्षण कराने वाले प्रशिक्षकों की सूची समन्वयक द्वारा संस्था के सचिव को उपलब्ध करायी जायेगी।

16. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि संस्था के उद्देश्यों के अनुरुप रोवरिंग/रेंजरिंग गतिविधियाँ संचालित करने के लिए विश्वविद्यालय एवं संस्था के मध्य सम्यक् समन्वय आवश्यक है। अतः आवश्यक है कि प्रादेशिक संस्था एवं विश्वविद्यालय की समस्त दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये। प्रदेश संस्था द्वारा निर्धारित दरों से, नियमानुसार, प्रशिक्षकों के मानदेय का भुगतान यथाशीघ्र सुनिश्चित किया जाये तथा प्रशिक्षण शिविर आयोजन एवं प्रमाण–पत्र वितरण में 17 अक्टूबर, 2019 की विश्वविद्यालय रोवर्स/रेंजर्स की बैठक में लिये गये निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

17. यह निर्णय लिया गया है कि सत्र 2019–20 में प्रशिक्षण कराने वाले सभी प्रशिक्षकों को निर्धारित दर से मानदेय का भुगतान संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यह प्रक्रिया यथाशीघ्र पूर्ण कर संस्था द्वारा विश्वविद्यालय को सूचित किया जायेगा।

अन्त में यह निर्णय लिया गया कि शासन एवं विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुरूप रोवर्स/रेंजर्स गतिविधियाँ संचालित की जाय तथा सामाजिक सरोकारों से रोवर्स/रेंजर्स को अधिकाधिक सम्बद्ध किया जाय। प्रतिभागियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की समाप्ति हुयी।

(समन्वयक) (कुलसचिव) (कुलपति)

Scanned with CamScanner